न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 594 सन् 2026

CNR No.UPSN01–001862–2026

1. अब्दुल कादिर उर्फ अब्दुल सलाम बालिग पुत्र अमीन मोहम्मद
2. जैनुल आब्दीन उर्फ भुवर बालिग पुत्र अमीन मोहम्मद
3. अब्दुल कलाम उर्फ गोरख बालिग पुत्र जान मोहम्मद
4. शकील बालिग पुत्र समरूद्दीन
5. नजर मोहम्मद बालिग पुत्र रफीक,साकिनान मौजा जद्दूपुर, थाना चौरी जिला भदोही..... .....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या 61 सन् 2026
धारा–191(2),115(2),352,351(3)
एवं 110 B.N.S.
थाना–चौरी, जिला भदोही।

आदेश

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण–अब्दुल कादिर उर्फ अब्दुल सलाम, जैनुल आब्दीन उर्फ भुवर, अब्दुल कलाम उर्फ गोरख, शकील एवं नजर मोहम्मद की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 61 सन् 2026 धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3) एवं 110 B.N.S थाना चौरी, जिला भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक है कि अभियोगी इमरान ने थाना चौरी पर दिनांक–07.05.2026 को समय 12.48 बजे तहरीर प्रस्तुत कर अभियोग पंजीकृत कराया कि वह ग्राम जद्दुपुर थाना चौरी जनपद भदोही का रहने वाला है। दिनांक–05.05.2026 को 8–30 बजे शाम अपने नवनिर्मित मकान पर वह व राहुल गाय को देख रहे थे, उसी समय अब्दुल कादिर पुत्र अमीन मोहम्मद, जैनुल आब्दीन उर्फ भुवर पुत्र अमीन अहमद, अब्दुल कलाम उर्फ गोरख पुत्र जानमोहम्मद, शकील पुत्र शमशुद्दीन, नजर मोहम्मद पुत्र मो०रफीक ग्राम जद्दपुर आये और कहे कि यहां बैठे हो, तब राहुल ने कहा कि वह अपने मकान पर बैठा है और अपना गॉव देख रहा है। इसी पर ये लोग गाली गलौज देते हुए अपने हाथ में लाठी गड़ासा व तलवार लेकर उसे व राहुल को मारने पीटने लगे। शोर शराबा पर उसके पिता लालमोहम्मद आये,बीच बचाव करने लगे तो ये लोग

उसके पिता लालमोहम्मद के सिर व शरीर पर गड़ासे से व लाठी डंडा से कई जगह मारपीट कर घायल कर दिये। उसके पिता गिरकर बेहोश हो गये। शोर–गुल पर अगल–बगल के लोगों द्वारा बीच बचाव से उनकी जान बची। ये लोग जाते जाते जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। बेहोशी की हालत में पिता को लेकर थाने पर आये,जहां से पुलिस के साथ सीएचसी भदोही, वहां से जिला अस्पताल ज्ञानपुर एवं जिला अस्पताल ज्ञानपुर से बी०एच०यू०वाराणसी रेफर किया गया।

3. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध आघात आख्या एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने आधार अग्रिम जमानत एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, कोई अपराध कारित नहीं किये हैं, रंजिशन झूठा फंसाये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है। दिनांक–18.12.2020 को मोहम्मद अली ने उसके पिता से सट्टा जरबयाना तहरीर कराया और उसी दिन मोहम्मद अली शाह ने अपनी पत्नी सितारा बेगम के नाम से एक फर्जी एवं कूटरचित ढंग से वसीयतनामा तहरीर कराया, जिसकी जानकारी अभियुक्तगण को होने पर पूछताछ करने के दौरान वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के परिवार वाले लाठी–डण्डा से लैश होकर आये और मुन्नी बेगम को गाली–गुप्ता देने लगे। मना करने पर मुन्नी बेगम को मारपीट कर चोटें पहुंचायी, जिसके संबंध में एफ.आई.आर. संख्या 63/2026 अन्तर्गत धारा 333, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. पुलिस थाना चौरी में अंकित कराया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिजनों को न मारा पीटा गया, न गाली–गुप्ता दिया गया, न जान से मारने की धमकी दी गयी और न ही प्राणघातक चोटें पहुंचायी गयी। महज रंजिशन मुकदमें से बचने के लिये उनके ऊपर फर्जी मुकदमा चलाया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नही है। थाना हाजा की पुलिस अभियुक्तगण को जेल भेज सकती है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि जमीन की रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने कथित दिनांक, समय व स्थान पर वादी एवं उसके परिजनों को लाठी–डण्डा, तलवार व गड़ासा से मारकर चोटें पहुंचायी, जिसमें वादी मुकदमा के पिता लाल मोहम्मद के सिर पर गंभीर चोट आयी और वह मौके पर बेहोश हो गये। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर

प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–05.05.2026 को समय 18.30 बजे बहद स्थान ग्राम जद्दूपुर सीमांतर्गत थाना चौरी जिला भदोही में जमीनी रंजिश को लेकर अभियोगी एवं उसके परिजनों के साथ लाठी–डण्डा, तलवार व गड़ासा से मारपीट कर चोटें कारित करने व इन्हीं चोटों के कारण वादी मुकदमा के पिता लाल मोहम्मद के सिर के फ्रंटल रीजन व इमरान के सिर के बायें तरफ फ्रंटल रीजन पर लेसेरेटेड चोट तथा इमरान के फोरहेड पर कटा घाव व अन्य चोटें कारित कर गंभीर चोटें पहुंचाये जाने का आरोप है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी में बयान वादी मुकदमा इमरान अन्तर्गत धारा– 180 बी.एन.एस.एस. में आया है कि अमन शाह ने मो० रफीक व जान मोहम्मद अमीन अहमद द्वारा गाटा संख्या 48 रकबा 24 विस्वा में 4 विस्वा वसीयत व सट्टा किये हैं। वसीयत की जमीन पर जान मोहम्मद व अमीन मोहम्मद के परिवार वाले अमन शाह के मकान का दीवाल खड़ा होकर बनवाये, जिस पर अब्दुल कादिर, जैनुल आब्दीन उर्फ भुंवर, अब्दुल कलाम उर्फ गोरख, सकील, नजर मोहम्मद छत ढलने नहीं दे रहे हैं। अमान शाह की नवनिर्मित मकान में गाय बछिया रहती थी। वे लोग शाम के समय वहां टहलने जाया करते थे। दिनांक–05.05.2026 को समय 8.30 बजे शाम नवनिर्मित मकान पर वह व अमान शाह के घर का राहुल गाय को दरवाजा पर बैठ कर देख रहे थे। उसी समय अभियुक्तगण अब्दुल कादिर, जैनुल आब्दीन उर्फ भुंवर, अब्दुल कलाम उर्फ गोरख, सकील, नजर मोहम्मद आये और वहां पर बैठने की बात को लेकर गाली–गलौज देते हुए अपने–अपने हाथ में लाठी, गड़ासा व तलवार लेकर उसे व राहुल को मारने लगे। शोर–शराबा पर उसके पिता लाल मोहम्मद आये तो उन्हें भी लाठी डण्डा व गड़ासा से शरीर व सिर पर कई जगह मारपीट कर घायल कर दिया। उसके पिता गिर कर बेहोश हो गये। अगल–बगल के लोग आये तो जान बची। इसी प्रकार के बयानात मजरूबान लाल मोहम्मद व राहुल शाह ने भी देते हुए अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

8. पत्रावली पर मजरूबान की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके अनुसार मजरूब लाल मोहम्मद को कन्ट्यूटन, ऐबरेजन, लेसेरेशन प्रकृति की दस चोटें, मजरूब इमरान को इन्साइज्ड, लेसेरेशन एवं दर्द की शिकायत सहित नौ चोटें, मजरूब राहुल को ऐबरेजन प्रकृति की दो चोटे आना अंकित है। मजरूब लाल मोहम्मद के सी.टी. स्कैन रिपोर्ट में comminuted depressed fracture noted in parietal bone on right side with depressed bony fragment severely indenting the underlying

brain parenchyma with haemorrrhage contusion with surrounding, oedema noted in parietal region on right side with scalp haematoma along occipital region on right side वर्णित है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर के लाठी गड़ासा व तलवार लेकर राहुल व इमरान को मारने पीटने तथा शोर–शराबा पर बीच–बचाव हेतु पहुंचे लाल मोहम्मद को लाठी डण्डा से सिर पर कई जगह मारपीट कर घायल कर देने और उक्त चोट से लाल मोहम्मद को गिर कर बेहोश होना दर्शित है। अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

9. तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अब्दुल कादिर उर्फ अब्दुल सलाम, जैनुल आब्दीन उर्फ भुंवर, अब्दुल कलाम उर्फ गोरख, शकील एवं नजर मोहम्मद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO.CodeNo.– UP 5725

दिनांक–20.06.2026

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.06.20 14:15:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court